प्राचार्य का कार्यालय, दरभंगा चिकित्सा महाविधालय,लहेरियासराय ।
ज्ञापांक– /लहेरियासराय, दिनांक–

वाहन को किराये पर लेने हेतु सूचना पट के माध्यम से निविदा का आमंत्रण ।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग/भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के मापदण्डों के आलोक में इस संस्थान के पी0एस0एम0 विभाग के साथ–साथ अन्य विभागों अन्तर्गत अध्यनरत् एम0बी0बी0एस0/एम0डी0/इन्टनर्स छात्रों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण एवं शोध आदि कार्य हेतु चिकित्सक शिक्षकों को ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, कल्याणपुर जिला–समस्तीपुर, सोनकी, गोनौली, पंचोभ एवं शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, राज हॉस्पीटल आने जाने के लिए एक वर्ष/प्रति माह/प्रतिदिन/प्रति किलोमीटर हेतु स्वास्थ्य विभाग के निदेशानुसार निम्नलिखित नियम एवं शर्त्ते के आधार पर न्यूनतम 32/35/40 शिटर मिनी/बस वाहन किराये पर लेने हेतु इच्छुक निजी/निबंधित फार्म से निम्नलिखित शर्त्तो पर निविदायें आमंत्रित की जाती है ।

1–नई वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी ।
2–वाहन का बिहार राज्य के अन्तर्गत कामर्शियल सड़क निबंधन ही मान्य होगा अथवा वाहन उपलबध कराने के उपरांत 15 दिनों के अन्दर कमर्शियल सड़क निबंधन जमा करना अनिवार्य होगा, उसके बाद ही भुगतान की प्रकियॉं की जायेगी ।
3–निजी/रजिस्टर्ड फार्मो का पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
4– नियमतः भुगतेय राशि से टी0डी0एस0/आयकर अथवा अन्य वांछित कटौती करने की बाद ही भुगतान की जायेगी ।
5–संतोषप्रद कार्य के आधार पर उक्त अवधि में बढोत्तरी की जा सकती है ।
6–कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने वाले किसी भी समय बिना कारण बताये आपका उक्त एकरारनामा/निविदा/आदेश रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी संबंधित फार्म/मालिक की होगी ।
7–वाहन का रख–रखाव, खलासी, चालक, ईंधन, मोबिल आदि की व्यवस्था वाहन मालिक/फार्म द्वारा किया जायेगा
8–समय–समय पर नियमानुसार गाड़ी का फिटनेट प्रमाण–पत्र लेने की जिम्मेवारी संबंधित वाहन मालिक का होगा । साथ ही वाहन का फिटनेट प्रमाण–पत्र की छाया प्रति पत्र निर्गत के पन्द्रह दिनों के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा ।
9–न्यूनतम स्वीकृत दर में सभी कर आदि सम्मिलित है तथा स्वीकृत दर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई भी राशि देय नहीं होगा ।
10–किसी भी प्रकार अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा ।
11–कय समिति द्वारा न्यूनतम स्वीकृत दर ही अनुमान्य होगा ।
12–वाहन का देखभाल/सुरक्षा आदि की जिम्मेवारी वाहन मालिक की होगी ।
13–भाड़े का वाहन/मिनीबस आदि का दर किसी भी परिस्थिति में बिहार पर्यटन विभाग के दर से अधिक नहीं होना चाहिए, यदि बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर दिया जाता है तो इसके लिए संबंधित व्यक्ति/एजेन्सी को अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करने हेतु कानूनी कार्रवाई की जायेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होगें ।
14–यदि उपरोक्त नियम एवं शर्त्त मंजूर हो तो उपरोक्त सभी वांछित कागजात के साथ निविदा स्वरूप एक स्पष्ट आवेदन, प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविधालय, लहेरियासरसाय के नाम से जिसमें यह अंकित हो कि वे अपने इच्छा से उपरोक्त शर्त्तो के अनुरूप वाहन देना चाहते है का उल्लेख करते हुए अपना आवेदन संभी अनुल्नकों के साथ पत्र निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर सीधे कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के दिन जमा कर सकते है । उपरोक्त तिथि के बाद किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा । एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में निविदा निर्गत होने के एक सप्ताह के बाद कय समिति की बैठक कर अंतिम निर्णय लिया जायेगा ।

प्राचार्य,
दरभंगा चिकित्सा महाविधालय,
लहेरियासराय ।

ज्ञापांक– 2197 /लहेरियासराय,दिनांक– 29.9.22

प्रतिलिपिः–आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/ जिलापदाधिकारी, दरभंगा/ जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी, दरभंगा / अधीक्षक,दरभंगा चिकित्सा महाविधालय अस्पताल,दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः–सभी विभागाध्यक्ष, दरभंगा चिकित्सा महाविधालय, लहेरियासराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपिः–कोर्डिनेटर, मेडिकल एडूकेशन युनिट, दरभंगा चिकित्सा महाविधालय, लहेरियासराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपिः–एक प्रति कार्यालय के सूचना पट एवं वेवसाईट– **www.dmc.edu.in** पर देने हेतु ।

प्राचार्य,
दरभंगा चिकित्सा महाविधालय,
लहेरियासराय ।